अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, रामगढ़।

भू–वापसी अपीलवाद संख्या–01/2022
राजकुमार उरांव बनाम भुनेश्वर यादव वगै0

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

15/4/2023

राजकुमार उरांव, पिता–स्व0 बुधन उरांव, ग्राम–गेगदा, पो0– गेगदा, थाना–पतरातु, जिला–रामगढ़ के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू–वापसी वाद सं0–65/2015–16 राजकुमार उरांव बनाम् भुनेश्वर यादव वगै0 में दिनांक–27.01.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील दायर किया गया है। अभिलेख के साथ निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न किया गया है।

भूमि की विवरणी निम्नवत है :–

क्र० सं०	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा (एकड़ में)
1	गेगदा	32	43	0.35 एकड़
			कुल–	**0.35**

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत् भूमि मौजा–गेगदा, थाना सं0–28, थाना–पतरातु के खाता सं0–32, प्लॉट सं0–43, रकवा–0.35 एकड़ भूमि के खतियानी रैयत शनिचरवा उरांव हैं। आवेदक शनिचरवा उरावं के पोता है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा वाद सं0–65/2015–16 के माध्यम से दिनांक–27.01.2017 को बिना तथ्यों व विधि पहलु की जाँच किये हुए, आदेश पारित किया गया है। विपक्षी अंचल अधिकारी, पतरातु से मिलिभगत करते हुए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों जो अनुसूचित जनजाति के हित में बनाया गया है, कि अनदेखी करते हुए इस प्रकार का आदेश पारित किया गया है। विपक्षी ने आवेदक को लगभग 5 वर्षों से बाजबरन बेदखल कर भूमि पर कब्जा कर लिया है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4(ए) में स्पष्ट उल्लेख है कि आदिवासी की भूमि का हस्तांतरण उपायुक्त के पूर्वानुमति के ही किया जाना है। विपक्षी द्वारा इस संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रश्नगत् भूमि का हस्तांतरण उपायुक्त की अनुमति से किया गया है।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि–विरूद्ध बताते हुए, अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए, निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी दिनांक–23.02.2016 को भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू–वापसी का आवेदन दायर कर ग्राम–गेगदा, थाना–बासल, जिला–रामगढ़ के खाता सं0–32, प्लॉट सं0–43, रकवा–35 डी0 भूमि की वापसी का अनुरोध किये। जिसका वाद सं0–65/2015–16 राजकुमार उरांव बनाम् भुवनेश्वर यादव वगै0 है। निम्न न्यायालय

के द्वारा अंचल अधिकारी, पतरातु से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, पतरातु के जांच प्रतिवेदन के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपीलार्थी के भू-वापसी आवेदन दिनांक-27.01.2017 को अस्वीकृत कर दिये। जिसके विरूद्ध दिनांक-02.04.2022 को अपीलार्थी वर्तमान भू-वापसी का अपील दायर किये हैं। मौजा-गेगदा के खाता सं0-32, कुल रकवा-6.68 एकड़ भूमि पिछले भूकर निर्धारण सर्वे में शनिचरवा उरांव वल्द मरया उरांव के नाम से दर्ज है। शनिचरवा उरांव का परिवार सर्वे के समय राँची जिला में रहता था तथा उनके वंशज अभी भी राँची जिला में रहते हैं। खाता सं0-32 के रैयत भूमि का लगान जमीन्दार को नहीं दे सके। साथ ही भूमि पर कृषि कार्य बन्द कर दिये, जिस कारण भूमि फौती फिराती (एबनडन) हो गया। फलस्वरुप जमीन्दार खाता सं0-32 के भूमि को अपने कब्जा में ले कर कृषि कार्य कर दखलकार हुए। जमीन्दार इन्द्रदवन पाण्डेय ग्राम-गेगदा के खेवट सं0-02 के खाता सं0-32 के कुछ प्लॉट के भूमि के साथ अन्य खाता की भूमि किशुन महतो वल्द फुलेल महतो से 4247 रू0 नजराना लेकर तथा 41 रूपया सालाना मालगुजारी निर्धारित कर निबंधित बंदोबस्ती पट्टा सं0-357, दिनांक-05.03.1929 के द्वारा बंदोबस्त कर दिया। किशुन महतो वल्द फुलेल महतो, निबंधित कबुलियतनामा सं0-358, दिनांक-06.09.1929 से जमीन्दार द्वारा निबंधित बंदोबस्ती पट्टा सं0-357 से किये गए, बंदोबस्ती को स्वीकार किया। जिससे प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी एवं उनके पूर्वज वर्ष-1929 से प्रश्नगत् खाता के भूमि से बेदखल हैं। किशुन महतो पूर्व में जमीन्दार को एवं जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् बिहार सरकार किशुन महतो को रैयत मानते हुए, पंजी-II के पेज सं0-65/1 में जमाबंदी खोल कर मालगुजारी प्राप्त कर सरकारी रसीद निर्गत किया। किशुन महतो के मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र एवं वर्तमान समय में उत्तरवादी प्रश्नगत् भूमि पर दखलकार चले आ रहे हैं। पूर्व में बिहार सरकार के भू-अर्जन विभाग द्वारा ग्राम-गेगदा के प्रश्नगत् प्लॉट सं0-43 के भूमि के साथ-साथ अन्य भूमि के अधिग्रहण हेतु किशुन महतो वगै0 को नोटिस दिया गया था। यह इस बात का सबूत है कि प्रश्नगत भूमि पर वर्ष 1966 में भी उत्तरवादी एवं उनके पूर्वज दखलकार थे। पूर्व में खतियानी रैयत के वंशज एतवा उरांव अंचल अधिकारी, पतरातु के कार्यालय में ग्राम-गेगदा के खाता सं0-32, प्लॉट सं0-18 वगै0 के कुल रकवा-6.68 एकड़ का मालगुजारी निर्धारित कर जमाबंदी खोलने हेतु दिनांक-13.08.1999 को आवेदन दायर किये। आवेदन पर विविध वाद सं0-80/1999-2000 का अभिलेख खोल कर अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा जांच करवाया गया। जांच में पाया गया कि एतवा उरांव के दावे के भूमि पर अन्य रैयत दखलकार हैं तथा एतवा उरांव एवं इनके पूर्वज भूमि से लगभग 70 वर्षों पूर्व से बेदखल चले आ रहे हैं। सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए अंचल अधिकारी, पतरातु द्वारा अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के पास उचित निर्णय हेतु भेजा गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ भूमि से संबंधित सभी तथ्यों एंव कागजातों के विश्लेषण के पश्चात् एतवा उरांव के आवेदन को खारिज करते हुए, एतवा उरांव को अपने दावे के निपटारा हेतु व्यवहार न्यायालय में जाने का निर्देश दिये।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आदिवासी रैयत के बेदखली की अवधि 80–90 वर्षों का है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46–4(ए) के प्रावधान के अनुसार आदिवासी रैयत द्वारा भू–वापसी का आवेदन बेदखली के 12 वर्षों के अन्तर्गत दायर करना आवश्यक है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 के अनुसार आदिवासी रैयत को गैर आदिवासी द्वारा बेदखल किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मामले में आदिवासी रैयत को उत्तरवादी या उनके पूर्वज प्रश्नगत् भूमि से बेदखल नहीं किये हैं, बल्कि उत्तरवादी के पूर्वज को जमीन्दार द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया है। प्रश्नगत् भूमि के संबंध में अंचल अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि खाता सं0–32 की जमाबंदी पंजी–II में खतियानी रैयत एवं उनके वंशजों का कायम नहीं है तथा भूमि पर दखल–कब्जा नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारीज करने एवं निम्न न्यायालय के द्वारा भू–वापसी वाद सं0–65/2015–16 में दिनांक–27.01.2017 को पारित आदेश को यथावत् रखने का अनुरोध किया गया।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46–4(ए) के प्रावधानों के तहत् उक्त भूमि प्रथम पक्ष को वापस किया जा सकता है।

अंचल अधिकारी, पतरातु ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–गेगदा, थाना सं0–28, थाना–पतरातु, के खाता सं0–32, प्लॉट सं0–43 वगै0, कुल रकवा–6.68 एकड़ भूमि खतियानी रैयत शनिचरवा उरावं, पिता–मरया उरांव के नाम से रैयती आदिवासी खाते की भूमि दर्ज है। पंजी–II में खतियानी रैयत या उनके वंशजों का जमाबंदी कायम नहीं है तथा भूमि पर दखल–कब्जा भी नहीं है। उक्त भूमि द्वितीय पक्ष को कबुलियत पट्टा सं0–357 एवं 358, दिनांक–03.04.1929 के द्वारा प्राप्त है तथा तब से भूमि पर दखल–कब्जा है। मामला भू–वापसी का नहीं बनता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा अपने आदेश फलक में यह प्रतिवेदित किया है कि दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गए दलीलों को सुनने, अंचल अधिकारी, पतरातु के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गए कागजातों के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत् मामला स्वत्व वाद से संबंधित है। संबंधित पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुनने एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रथम द्वारा खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा किया जा रहा है, जबकि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि निबंधित बंदोबस्ती व कबुलियतनामा के आधार पर दावा किया जा रहा है। अंचल अधिकारी पतरातू द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि पंजी–II में खतियानी रैयत या उनके वंशजों का जमाबंदी कायम नहीं है तथा भूमि पर दखल–कब्जा भी नहीं है। उक्त भूमि द्वितीय पक्ष को कबुलियत पट्टा सं0–357 एवं 358, दिनांक–03.04.1929 के द्वारा प्राप्त है तथा तब से भूमि पर दखल–कब्जा

है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा आपने आदेश फलक में अंकित किया है कि प्रश्नगत् मामला स्वत्व वाद से संबंधित है। संबंधित पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

वर्णित तथ्यों के विवेचन, निम्न न्यायालय के आदेश, विज्ञ अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन का अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा विधि–सम्मत् आदेश पारित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

15/4/2023
अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

15/4/2023
अपर समाहर्त्ता,
रामगढ़।

Digitally signed by NELSAM EYON BAGE
Date: 2023.04.19 17:25:12 +05:30
Location: 192.168.137.1